उत्तर मध्य रेलवे

मुख्यालय उ.म.रेलवे
सतर्कता विभाग
इलाहाबाद

गोपनीय

पत्र संख्या : 2017/05/02226/PC/V1/N/ALD

SIV No04/2018

दिनांक: 27.02.2018

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
उत्तर मध्य रेलवे
इलाहाबाद

विषय: स्थानीय खरीद के आर्डर से आयी दवाऐं, जो मरीजों के न लेने पर बची रह जाती हैं, के सम्बन्ध में

दवाओं की स्थानीय खरीद के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग, उ.म.रे. द्वारा की गयी एक जांच में पाया गया कि मरीजों को स्थानीय खरीद की दवाओं की आपूर्ति के बाद, जो मरीज, इन दवाओं को लेने नहीं आते, उनकी दवाऐं बची रहती हैं। इस प्रकार बची हुयी दवाओं का उचित प्रकार से रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। जिससे कि इन दवाओं के दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः निम्नलिखित प्रस्तावित प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार की दवाओं के रिकार्ड को पारदर्शी बनाया जा सकता है:–

1. इस प्रकार स्थानीय खरीद से प्राप्त, बची हुयी दवाओं के हिसाब हेतु एक रजिस्टर बनाया जाए।

2. प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को इस प्रकार की दवाओं (जो मरीजों द्वारा नहीं ली गयी हैं) को उस रजिस्टर में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार दर्ज किया जाए।

3. तत्पश्चात् डॉक्टर द्वारा अन्य मरीजों को prescribe किए जाने पर, शेष दवाओं (लोकल खरीद से प्राप्त) को वितरित करते समय फार्मासिस्ट को ओपीडी नम्बर, जारी की गयी दवा की मात्रा, शेष मात्रा व मरीज का हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज करना होगा तथा इन दवाओं की पर्चियों को अलग से सुरक्षित रखना होगा।

4. LP फार्मासिस्ट को चाहिए कि नए मरीज को इस प्रकार से शेष local purchase दवाओं को वितरित करने से पहले दवा की पर्ची पर रजिस्टर का वह सीरियल नम्बर लिखे जिससे वह दवा दी जा रही है।

5. LP फार्मासिस्ट समय–समय पर इस रजिस्टर का अवलोकन करें जिससे कि उनके संज्ञान में रहे कि कौन – कौन सी शेष LP दवाऐं उनके पास उपलब्ध हैं।

कृपया उक्त विषय पर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत करायें।

(अमिताभ ओझा) 27.02.2018
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक
उत्तर मध्य रेलवे